| तारीख हुक्म | प्रकरण संख्या 02/2023 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 183 बी सरकार बनाम लक्ष्मणसिंह व जगदीश पुत्रान रामदयाल जाति जाट निवासी रजौरा तहसील व जिला धौलपुर | |
|---|---|---|
| 30.06.2023 | **निर्णय**<br>आज पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर परिवादी रमेश चन्द पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी रजौरा थाना सदर धौलपुर के परिवाद की जांच पटवारी हल्का विश्नौदा द्वारा प्रस्तुत की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का सायल आराजी खसरा नम्बर 539 रकवा 0.5184 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 भाग व खसरा नम्बर 59 हिस्सा 1/4 भाग रकवा 0.3035 हैक्टेयर ग्राम नकटपुरा के मुताबिक वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमावन्दी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी के भू–भाग पर अप्रार्थीगण लक्ष्मण व जगदीश पुत्रान रामदयाल जाति जाट निवासी रजौरा का कब्जा होना बताया गया है। अतः मुताबिक रिपोर्ट पटवारी धारा 183 बी के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 22.2.2023 नियत की गई। नियत दिनांक को गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री रिपुदमन सिंह द्वारा बकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायलान द्वारा प्रस्तुत जबाब में उक्त खसरा नम्बरान में अन्य सह–खातेदार सप्पू पुत्र भवानीसिंह जाति कोली निवासी सरानीखेडा से बटाई पर लेना बताया गया जिस बावत कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।<br>दिनांक 13.03.2023 को पटवारी हल्का बसईसामन्ता के बयान लिये गये जिसमें पटवारी हल्का बसईसामन्ता द्वारा खसरा नम्बर 539 व 59 में अप्रार्थीगण लक्ष्मणसिंह व जगदीश पुत्रान रामदयाल जाति जाट निवासी रजौरा का ही कब्जा काश्त होना बताया गया।<br>दिनांक 28.3.2023 को सहखातेदार पप्पू पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी रजौरा के बयान लिये गये जिसमें सह खातेदार पप्पू पुत्र सामलिया द्वारा भी अपने हिस्से के भू–भाग क्रमशः आराजी खसरा नम्बर 539 रकवा 0.5184 हैक्टेयर हिस्सा 1/8 भाग व खसरा नम्बर 59 हिस्सा रकवा 0.3035 हैक्टेयर 1/4 भाग पर अप्रार्थीगणों का कब्जा होना कथन किया गया। परन्तु इस बावत कोई साक्ष्य पेश नही किया गया ।<br>सम्पूर्ण पत्रावली एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का विश्नौदा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन करने व मनन करने के पश्चात यह सिद्ध होता है कि एस.सी. वर्ग की भूमि पर सवर्णो का कब्जा है अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रार्थी रमेशचन्द पुत्र सामलिया जाति जाटव निवासी रजौरा तहसील व जिला धौलपुर जो कि अनुसूचित जाति वर्ग में आते है के आराजी खसरा नम्बर 539 व 59 बांके ग्राम नकटपुरा पर गैरसायल लक्ष्मणसिह व जगदीश पुत्रगण रामदयाल जातिगण जाट निवासी रजौरा तहसील व जिला धौलपुर के द्वारा कब्जा कर लिया गया है।<br>अतः आराजी खसरा नम्बर 539 व 59 ग्राम नकटपुरा की भूमि अप्रार्थीगणों | |

(तहसीलदार)
धौलपुर (राज0)

बेदखल किया जाकर प्रार्थी रमेशचंद पुत्र रामलिया जाति जाटव निवासी रजौरा को कब्जा संभलवाये जाने के आदेश पारित किये जाते है। भूमि पर अवैध कब्जे का जुर्माना शास्ती भू राजस्व 06.10 का 50 गुना 305 रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को लिखा जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धर्मसिंह) (तहसीलदार)
आरटीएस
तहसीलदार धौलपुर (राज0)
धौलपुर